प्रपत्र "छ" धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील हेतु आवेदन

सेवा में,

श्रीमान् अपीलीय प्राधिकार

सह

मुख्य अभियंता प्रमुख महोदय

पथ निर्माण विभाग

विश्वैसरिया भवन, न्यू सचिवालय,

बेली रोड, पटना ।

विषय : लोक सूचना पदाधिकारी सह अधीक्षण अभियंता केन्द्रीय अंचल पथ निर्माण विभाग, छज्जूबाग पटना के द्वारा प्रपत्र "घ" में मेरे द्वारा मांगे गये वांछित सूचना के अन्तर्गत दिनांक 28/3/17 को सूचना उपलब्ध कराये गये जो सत्य से परे एवं बनावटी सूचना है जिससे मैं क्षुब्ध हूँ और बाध्य होकर आपके समक्ष प्रथम अपील दायर कर रहा हूँ, सूचना प्राप्त करने हेतु ।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरे द्वारा दिनांक 01/03/2017 को लोक सूचना पदाधिकारी, पथ निर्माण अंचल छज्जूबाग पटना-1 से निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना की मांग किया गया था जहाँ उनके द्वारा उपरोक्त तिथि को सूचना के अधिकार 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत अलग थलग सूचना बनावटी रूप से उपलब्ध करा दिया गया है जो मांगे गये सूचना से एकदम भिन्न है तथा सम्बन्धित व्यक्ति परिचारी के बचाव हेतु बनावटी सूचना उपलब्ध कराया गया है जो सूचना के अधिकार 2005 के नियम कानून को ताक पर रखकर इस धारा का खूल्लम-खुल्ला मजाक बना दिया गया है।

पथ निर्माण अंचल केन्द्रीय कार्यालय पटना में श्री विनोद कुमार गुप्ता कार्यालय परिचारी के पद पर दिनांक 04.08.2012 से लगातार पदस्थापित है । श्री विनोद कुमार का वर्ष 2015 ई० से लगातार 2016-17 तक इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति कार्य दिवस में कितना था अगर अनुपस्थिति हुए हैं, तो किस आधार पर इनकी छुट्टी मंजूर किया गया । वर्ष 2015 ई० से लगातार 2016-17 में राजकीय अवकाश एवं रविवार को छोड़कर कितना कार्य दिवस इस कार्यालय (बिहार सरकार) का उक्त वर्ष में है उस अनुपात में श्री विनोद कुमार गुप्ता कार्यालय परिचारी की उपस्थिति और अनुपस्थिति का व्यौरा उपलब्ध कराने की मांग किया गया था । साथ ही पथ

(1)

निर्माण विभाग में परिचारियों का स्थानांतरण कितने वर्षों पर होता है । तीन से चार वर्षों के अन्तराल पर होता है तो श्री गुप्ता अभी तक केन्द्रिय अंचल पटना में ही किस रूप में पदस्थापित हैं कि जानकारी सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मांग किया गया था जिसके उत्तर में लोक सूचना पदाधिकारी पटना अंचल ने बनावटी सूचना उपलब्ध कराया है ।

अतः आप श्रीमान् 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील की सुनवाई अपने स्तर से करें तथा शीघ्र ही सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

इस पुनीत कार्य के लिए मैं श्रीमान्का सदा आभारी रहूँगा ।

साथ ही मैं घोषित करता हूँ कि उपरोक्त लिखी गयी बातों की सूचना मेरी जानकारी में है तथा सूचना एवं व्योरा सत्य वो सही है ।

आपका विश्वासी

प्रदीप कुमार गुप्ता

(प्रदीप कुमार गुप्ता) 18/04/2017

पत्राचार का पता –पश्चिम दरवाजा
(टमटम पड़ाव), पोस्ट – गुलजारबाग
थाना – आलमगंज, जिला – पटना
पिन कोड – 800007
मोबाईल नं० – 9334687563

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

3930(S)

पत्र संख्या : लो०सू०को० / अपीलवाद सं०–05 / 17–18 पटना, दिनांक 03/5/17

प्रेषक,

अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रथम अपीलीय प्राधिकार,
अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग,
छज्जूबाग, पटना।

महाशय,

श्री प्रदीप कुमार गुप्ता का प्रथम अपील आवेदन दिनांक–18.04.2017, जो इस विभाग में दिनांक–26.04.2017 को प्राप्त है, के संबंध में कहना है कि आवेदक द्वारा सूचना आवेदन प्रपत्र–'क' दिनांक–01.03.2017, लोक सूचना पदाधिकारी, अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, छज्जूबाग, पटना को समर्पित की गई है।

चूँकि वांछित सूचना आपके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम 6(3) के तहत् प्राप्त प्रथम अपील आवेदन नियमानुसार कार्रवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा अपेक्षित अपील आवेदन शुल्क (10 / – रूपये) की राशि किसी भी रूप में संलग्न नहीं की गई है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

3.5.17

अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप सं०– 3930(S) पटना,दिनांक– 03/5/17

प्रतिलिपि : **श्री प्रदीप कुमार गुप्ता,** पश्चिम दरवाजा (टमटम पड़ाव), पोस्ट–गुलजारबाग, थाना–आलमगंज, जिला–पटना, पिन कोड–800007 (अपीलार्थी)।

चूँकि माँगी गई सूचना से सम्बन्धित आपका आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, इसे क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले अपीलीय प्राधिकार को स्थानान्तरित कर दिया गया है। उल्लेखित अपीलीय प्राधिकार से सम्पर्क करने हेतु अनुरोध किया जाता है।

3.5.17

अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पथ निर्माण विभाग
कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन संख्या 3095 27 3.5.17